

प्रपक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014-15/85/

दिनांक: 13 जनवरी 2015

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RCH, RI, IPPI, and MISSION कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अवमुक्त/स्वीकृत की गयी धनराशियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुमोदन के क्रम में जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में निम्नांकित कार्यक्रमों की धनराशिवा इलेक्ट्रानिकली स्थानान्तरित की गयी है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं जनपदवार फॉट सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से पूर्व में आपको उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

क्रम सं 0	पूल	कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नं0	गतिविधि का नाम	एफ0एम0आर0 संख्या	धनराशि अवमुक्त की तिथि	कुल अवमुक्त की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	RCH Field Project	Mr.B.K.Jain	Mobility Suport for field Visit 25 Distt Fund tr to DHS account	A.10.7.2.A1 0.7.3.A10.8.1	17.12.2014	98921887.00
		F.C.Camp	HR Fund tr to DHS account		26.12.2014	1162500.00
		Sanjoy Sen Gupta (GM HR)	Dental Doctor. (46. Distt.) Fund tr to DHS account	A.8.1.3.7	26.12.2014	9690000.00
			Data Entry Operator 66Distt.) Fund tr to DHS account	A.8.1.9	26.12.2014	3492000.00
			LT & X-Ray (50Distt.) Fund tr to DHS account	A.8.1.2.1.A. 8.1.3.7	26.12.2014	11524500.00
			DPMU (75Distt.) Fund tr to DHS account	A.10.2.8	26.12.2014	29815500.00
		Dr.Aruna Narain (GM RBSK)	RKSK (75Distt.) Fund tr to DHS account	A.5.1.2.5.1.1 3.5.1.10.8.1. 7.4.1.8.1.7.4. 2.8.1.7.4.3	29.12.2014	250000000.00
		Dr. Beena Bajpai (GM FP)	(09Distt.) Fund tr to DHS account	A.3.5.4.3	7.1.2015	2730000.00
2	RI	Dr. Ved Prakash (GM) 8005192557	JE Camainpg Operational Cost (Kanpur Dehat) Fund tr to DHS account	C.1.a	10.12.2014	4501163.00
			Computer Assistants Support for Distt. Level (75 Distt.) Fund tr to DHS account	RI Activity	06.01.2015	300000000.00
3	IPPI	Dr. Ved Prakash (GM) 8005192557	Pulse Polio Round for 18.1.2015 Activity (75Distt.) Fund Tr to IPPI Account of DHS	C.6	30.12.2014	235118871.00

ju

			DHS Allahabad For Magh Mela	C.6	06.01.2015	359880.00
			Pulse Polio Round for IEC Activity* (75 Distt.) Fund Tr to IPPI Account of DHS	C.6	07.01.2015	12299840.00
4	M I S S I O N	Sanjoy Sen Gupta (GM HR)	DCPM (75 Distt.) Fund Tr to Mission Flexipool Account of DHS	B.1.1.5	26.12.2014	5625600.00
		Mr.U.P.Rai (EE)	Drug Ware House (54 Distt.) Fund tr to DHS account	B.17.1.1. B.17.1.2	29.12.2014	31571826.00
		Dr. Ved Prakash (GM) 8005192557	MCTS Operator Salary (75 Distt.) Fund tr to DHS account	B.15.3.1.2	29.12.2014	86592000.00

मिशन निदेशक/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रेषित विस्तृत व्यय संबंधी दिशा निर्देशों अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि—

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्तम्भ सं० 2 में अंकित एक पूल की धनराशि किसी अन्य पूल में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना भी सुनिश्चित करें।

for

10. मिशन निदेशक के पत्र सं० SPMU/NRHM/ACCOUNT/2014-15/85/4199-75 दिनांक 22.12.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(संजय श्रीवास्तव)

वित्त नियंत्रक-एन०एच०एम०

पत्र संख्या: एस०पी०एम०यू०/एन०आर०एच०एम०/लेखा/2014-15/85/468-75-8 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन०एच०एम० के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपके प्रस्ताव पर प्रेषित की गयी धनराशियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण स्वयं अपने स्तर पर भी करने का कष्ट करें।
6. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

As

(संजय श्रीवास्तव)

वित्त नियंत्रक-एन०एच०एम०

82